न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 67 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 160

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

प्रार्थीयागण — अप्रार्थीगण

उगम पुत्री पदमाराम वगैरह — देवाराम पुत्र पदमाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 21.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीयागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 9 लगायत 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश पुरोहित उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 02.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण के दादा मोतीराम के नाम की हमारी पैतृक आराजी वांके सरहद मौजा बड़सम, तहसील सांचौर में पुराने खेत खसरा नंबर 317, 319, 324, 325, 326 की आई हुई थी, जिसके दौराने नवीन सेटलमेंट में नवीन खसरा संख्या 460 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 461 रकबा 3.53 हैक्टैयर चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नंबर 464 रकबा 1.22 हैक्टेयर चाही दोयम, जाव दोयम कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर नवसृजित किए गए है। नकल पुरानी जमाबंदीयां, नई जमाबंदी, मिसल बंदोबस्त, मिलान क्षैत्रफल सलंग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीयागण के दादा मोतीराम के फौत होने पर हम प्रार्थीयागण के पिता पदमाराम को जरिये उतराधिकार खातेदारी में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वांके सरहद मौजा बड़सम, तहसील सांचौर में स्थित नवीन खेत खसरा नंबर 460 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 461 रकबा 3.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 464 रकबा 1.22 हैक्टेयर कुल रकबा 3.47 हैक्टेयर में हम प्रार्थीयागण प्रत्येक का 1/9, 1/9 हक हिस्सा कानूनियां बनता है तथा हम प्रार्थीयागण का जन्मसिद्ध अधिकार होने से हम प्रार्थीयागण हमारे हक हिस्से की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कानूनियां अधिकारिणी होने से दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीयागण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमावई जावें कि वें वांके सरहद मौजा बड़सम, पटवार हल्का–गोलासन, तहसील–सांचौर में स्थित वादग्रस्त आराजी नवीन खाता नंबर 158 के खेत खसरा नंबर 460 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा, खसरा नंबर 461 रकबा 3.53 हैक्टेयर चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नंबर 464 रकबा 1.22 हैक्टेयर चाही दोयम, जाव दोयम कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर भूमि में स्थित हम प्रार्थीयागण के हक हिस्से की भूमि में हमारे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा बड़सम, पटवार हल्का–गोलासन, तहसील–सांचौर के नवीन खसरा नंबर क्रमशः 460, 461, 464 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **02.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी) सांचौर